पंजाब का हिन्दी आन्दोलन
क्या, क्यों और कैसे ?

लेखक—

सार्वदेशिक आर्य वीर दल के प्रधान सेनापति

श्री ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी

प्रकाशक:—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

श्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिल्ली-६

मबार ५००] दिसम्बर १९५७

* ओ३म् *

पंजाब का हिन्दी आन्दोलन



हिन्दी भाषा को इतना महत्व क्यों ?

आर्य समाज के नेतृत्व में आर्यों (हिन्दुओं) द्वारा चलाये जा रहे हिन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुधा सरकार व उसके समर्थकों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि जब देश के सन्मुख द्वितीय पंचवर्षीय योजना जैसी महत्व-पूर्ण योजनायें राष्ट्र के कल्याणार्थ पूर्ण करने तथा देश विदेश सम्बन्धी अनेकों अत्यावश्यक समस्याओं के समाधान करने के प्रश्न उपस्थित हैं तो आर्यसमाज जैसी समझदार व देश-भक्त संस्था ने हिन्दी भाषा के प्रश्न को इतना महत्व क्यों दे दिया कि उसने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह तथा संघर्ष तक की घोषणा कर दी। उनकी दृष्टि में आर्यसमाज का यह कार्य हेय, अदूरदर्शिता पूर्ण तथा देश के लिए अहितकर है। परन्तु प्रश्न यह भी है कि सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं तथा महत्वपूर्ण समस्याओं के होते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति पंजाब में यह अदूरदर्शितापूर्ण खिलवाड़ क्यों सूझी ! इसका उत्तर सरकारी अधिकारियों व उसके समर्थकों को अपनी आत्मा से लेना चाहिये।

देश की वर्तमान परिस्थिति में आर्यसमाज भी किसी प्रकार के आन्दोलन व संघर्ष को अच्छा नहीं समझता, परन्तु उसके सन्मुख इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही शेष नहीं रह गया था और विवश होकर उसे ऐसा करना पड़ा है। वह मौन भी रह सकता था, परन्तु मौन रहने से देश का निकट भविष्य में ही बड़ा भारी अहित हो जाने का भय था। अतः देश भक्ति की प्रबल प्रेरणा से प्रेरित होकर आर्यसमाज ने भारत के कल्याणार्थ ही यह पग उठाया है।

किसी भी जाति अथवा राष्ट्र की वास्तविक शक्ति व जीवन उसके नदी, नालों, खेतों, पहाड़ों तथा सोने चाँदी के ढेरों में निहित नहीं होती अपितु उसके सांस्कृतिक ढाँचे में होती है। अर्थात् किसी राष्ट्र का जीवन उसकी संस्कृति धर्म, सभ्यता, साहित्य व इतिहास के साथ-साथ जीता व मरता है उदाहरणार्थ संसार में आज बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं कि बाह्य दृष्टि से देखने में वे जीवित हैं

और आर्थिक दृष्टि से बड़े ही समुन्नत हैं; परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वे राष्ट्र मर चुके हैं, उनका अस्तित्व केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित है और इतिहासज्ञों के ज्ञान का अंग मात्र है। स्वयं आर्य जाति को इसका कटु अनुभव है। यह बात ध्रुव सत्य है कि किसी दिन आर्य जाति मिस्र, बैबीलोनिया ईरान, अफगानिस्तान, ब्रह्मा, स्याम, इण्डोचायना, जावा-सुमात्रा तथा लंका में जीवित थी, परन्तु आज देखने में ये राष्ट्र जीवित हैं, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से आर्य जाति वहाँ मर चुकी है और केवल इतिहासज्ञों व भूगर्भ-शास्त्रियों के खोज का विषय बनी हुई है। अभी कल-परसों की बात है कि आर्य जाति पश्चिमी व पूर्व पाकिस्तान में जीवित थी, परन्तु देखते-देखते वहाँ इसकी कब्र खुद गई और जो कुछ अवशेष इसके वहाँ रह भी गए हैं वह भी कुछ वर्षों में समाप्त हो जायेंगे।

धर्म-संस्कृति व सभ्यता की अदृश्य शक्ति को साकार रूप देने और उसे जन-जन के हृदय में अवतरित करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह भाषा ही है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक संस्कृति व धर्म का सही प्रतिनिधित्व करने की सामर्थ्य नहीं होती है। अतः विशेष संस्कृति का विशेष भाषा से अटूट सम्बन्ध होता है। यह सम्बन्ध इतना गहरा होता है कि भाषा की समाप्ति के साथ-साथ धर्म और संस्कृति का स्रोत स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी दृष्टि से आर्य धर्म व संस्कृति का सम्बन्ध देव वाणी संस्कृत व इसकी पुत्री हिंदी भाषा से है। अतः यदि आर्य जाति को सांस्कृतिक दृष्टि से जीवित रहना है तो उसे संस्कृत व हिन्दी भाषा को जीवित रखना होगा और इसे प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुखता देना होगा। यही कारण था कि अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात् देश के विधान निर्माताओं ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया और भाषा सम्बन्धी प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को भारतीय विधान में सुरक्षित कर दिया।

यह संघर्ष नया नहीं, पुराना है

अपने धर्म, संस्कृति व भाषा के लिए आर्य जाति का यह संघर्ष नया नहीं बहुत पुराना है। संसार जानता है कि शक, हूण, तुर्क, मुगल, अंग्रेज आदि अनेक विदेशी जातियाँ भारत में आईं, परन्तु विदेशी समझकर आर्य जाति ने कभी उनका विरोध नहीं किया और इनमें से जिस किसी ने भी इस देश को

अपनी मातृ-भूमि व पितृ-भूमि समझकर बसने की इच्छा प्रकट की तो आर्य जाति ने उसका स्वागत ही नहीं किया अपितु उसे अपनी राजगद्दी तक सौंप दी और स्वयं उसकी राजभक्त प्रजा बनकर रही। परन्तु जब कभी किसी विदेशी ने आर्य जाति के धर्म संस्कृति व भाषा को समाप्त करने के मन्सूबे बांधे तो आर्य जाति तुरन्त काला नाग बन कर खड़ी हो गई और इसने उसके अस्तित्व को समाप्त करके ही दम लिया। यही भावना थी मुसलमान व अंग्रेजों के साथ इसके संघर्ष करने की। जिन लोगों का यह मत है कि आर्य जाति इन विदेशियों के साथ केवल कुर्सियों के निमित्त लड़ी, वह सचमुच बड़ी भारी भ्रान्ति में हैं।

पंजाब को भाषा

बहुत से लोगों का विचार है कि जिस प्रकार बंगाल की भाषा बंगाली, गुजरात की गुजराती उसी प्रकार पंजाब की भाषा पंजाबी है, परन्तु यह धारणा सत्य के सर्वथा विपरीत है, पंजाब की भाषा पंजाबी कभी किसी काल में किसी भी शासन ने नहीं स्वीकार की है यहां तक कि महाराजा रणजीतसिंह जी के काल में भी इसे भाषा का स्थान नहीं दिया गया।

वर्तमान पंजाब जालन्धर, पेप्सू, हरियाना आदि क्षेत्रों से मिलकर बना है। इसकी कुल जनसंख्या १ करोड़ ६१ लाख है जिसमें एक करोड़ बाईस लाख हिन्दु और ४० लाख सिक्ख हैं। भाषा की दृष्टि से ५० लाख हरियाना के निवासी न पंजाबी बोलते न समझते हैं और न किसी भी रूप में इसे प्रयोग में ही लाते हैं। इसका कारण यह है कि हरियाना वास्तव में पंजाब का अंग नहीं है। सन् १८५७ तक हरियाना उत्तर प्रदेश के साथ था परन्तु सन् ५७ में हरियाना के निवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति में भाग लिया और इसके विपरीत पंजाब के सिक्खों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए सिक्खों को खुश करने या हरियाना के लोगों को दण्ड देने या, पंजाब के शासन की आर्थिक वृद्धि करने की दृष्टि में अंग्रेजों ने हरियाना को पंजाब, पटियाला जींद व नाभा की भेंट चढ़ा दिया। शेष एक करोड़ २२ लाख जनसंख्या में ७२ लाख हिन्दु ऐसे हैं कि जिनकी बोली पंजाबी है परन्तु भाषा पंजाबी नहीं अर्थात् वे बोलते अवश्य पंजाबी हैं परन्तु उनके काम-काज की भाषा उर्दू

हिन्दी या अंग्रेजी है। हिंदुओं के अतिरिक्त ६० हजार नामधारी सिक्ख ऐसे हैं कि जो हिन्दी को भी अपनी मातृ-भाषा मानते हैं और पंजाबी को हिन्दी लिपि में ही लिखना पसन्द करते हैं। केवल ४० लाख सिक्ख ही ऐसे जो कुछ समय पूर्व तक पंजाबी को बोली मानते थे और भाषा के रूप में उ या अंग्रेजी को अपनाते थे, देवनागरी में लिखी हिन्दी और व्यापारिक भा महाजनी थी, पंजाबी को यदि वे प्रयोग में लाते भी थे तो लिपि उनकी उ ही रहती थी; परन्तु अब वे गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को अपनी भा स्वीकार करते हैं। इस स्वीकृति का श्रेय अकाली नेता मास्टर तारासिंह को है कि जिन्होंने सिक्खों में यह साम्प्रदायिक नवचेतना उत्पन्न की है। इ प्रकार एक करोड़ ६२ लाख पंजाब की जनसंख्या में केवल ४० लाख सिक्ख ऐसे हैं जो पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में अपनी भाषा स्वीकार करते हैं। १ करोड़ २२ लाख व्यक्ति अपनी भाषा हिन्दी को स्वीकार करते हैं। य बात वह आज कहते हों सो बात नहीं है। सन् ५१ की जनगणना में पंज के ८० प्रतिशत व्यक्तियों ने अपनी भाषा हिन्दी ही लिखाया था।

मास्टर तारासिंह का दावा गलत

मास्टर तारासिंह कहते हैं कि हरियाणा के अतिरिक्त शेष पंजाब अर्थ वर्तमान जालन्धर डिवीजन में ६७·२ प्रतिशत व्यक्तियों की भाषा गुरुमु है। इसी दावे को उन्होंने सीमा कमीशन के सन्मुख रखते हुए भाषा के आध पर सिख प्रान्त बनाने की मांग की थी। परन्तु सीमा कमीशन ने श्री मास जी को उत्तर देते हुए कहा कि उनका दावा प्रमाण रहित है और प्रमा उनके दावे के सर्वथा विपरीत हैं। कमीशन ने मास्टर जी के सन्मुख जालन् डिवीजन के ही आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्हें बतलाया कि गत पांच वर्षों पंजाब यूनिवर्सिटी की ओरियन्टल फैकल्टीज परीक्षाओं में बैठने वाले ६२·२ विद्यार्थियों ने भाषा की पूर्ण स्वतन्त्रता होते हुए भी हिन्दी भाषा को अपनाया और केवल ३७·८ प्रतिशत ने गुरुमुखी लिपि के साथ पञ्जाबी परीक्षा पत्रों के उत्तर दिये। गत चार वर्षों की मैट्रिक परीक्षाओं का विश्ले करते हुए कमीशन ने बतलाया कि इतिहास, भूगोल आदि विषयों के प्रश्न-प के उत्तर हिन्दी या पञ्जाबी किसी भी भाषा में देने की छूट होने पर भी

र्थियों में से ७३.५ प्रतिशत ने अपने परीक्षा-पत्र हिन्दी में दिये और २६.५ प्रतिशत ने अपने परीक्षा-पत्र पञ्जाबी (गुरुमुखी) में दिये।

इस प्रकार प्ररिमाण सिद्ध हो जाता है कि हरियाना व जालन्धर डिवीजन की ७३.५ प्रतिशत जनता हिन्दी को ही अपनी मातृ-भाषा मानती है।

पंजाबी भाषा नहीं, बोली है

भाषा और बोली में बड़ा भारी अन्तर होता है। बोली भाषा का अशुद्ध रूप होती है और उसके प्रयोग में व्याकरण का विशेष स्थान नहीं होता है। बोली केवल आपस में बोलने-चालने तक ही सीमित रहती है वह लिखने-पढ़ने के प्रयोग में कभी नहीं आती और नाहीं उसमें यह सामर्थ्य होती है कि वह एक गम्भीर साहित्य का निर्माण कर सके, और वह प्रत्येक दस मील पर बदल जाती है। इसके विपरीत भाषा पूर्णतः व्याकरण पर आधारित होती है और लिखने-पढ़ने और साहित्य निर्माण में सहायक होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा की अनेकों उपभाषायें हैं जो बोली जाती हैं, परन्तु साहित्य की भाषा कभी नहीं बनीं। इसी प्रकार पञ्जाबी भी हिन्दी की एक उपभाषा है और वह भी विकृत रूप में। इसे भाषा का स्थान देना बड़ी भारी भूल है। क्योंकि इसके द्वारा जो साहित्य निर्मित होगा वह कदापि पूर्ण नहीं होगा और पठित लोगों को सदैव भ्रान्ति में डालता रहेगा। यही कारण हैं कि विद्वानों ने इसे अपने साहित्य की भाषा नही बनाया। पञ्जाबी भाषा का यदि कोई साहित्य कहा जा सकता है तो वह हीरे-रांझे की पुस्तक है जिसे साहित्य का नाम देना साहित्य का अपमान करना है।

पञ्जाबी बोली है और हिन्दी का अशुद्ध रूप है, इसके कुछ प्रमाण निम्न हैं:—

हिन्दी भाषा			पंजाबी भाषा
(१) पुत्र	...	...	पुत्तर
(२) मित्र	...	...	मित्तर
(३) कर्म	...	...	करम
(४) क्रम	...	...	करम
(५) प्रकार	...	...	परकार

(६) विद्वान्	...	...	विदवान
(७) शब्द	...	...	शबद
(८) स्वास्थ्य	...	...	सवासथय

सारांश में पंजाबी बोली में संयुक्त अक्षर नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो शब्द हैं भी उनका उच्चारण विचित्र ही है जो भाषा की दृष्टि से स्वीकार कदापि नहीं किया जा सकता है।

पंजाबी बोली को भाषा बनाने के लिए साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के अकाली सिक्खों ने बहुत-सी वस्तुओं के उपयुक्त हिन्दी नाम होते हुए भी उनका नया नामकरण किया है, परन्तु यह नामकरण उपहास की सामग्री मात्र है जैसे :—

वस्तु			पंजाबी नाम
(१) कुर्सी	...	...	दूही टेकनी
(२) रेल	...	...	भूतनी
(३) वकील	...	...	भौंकू
(४) स्कूल	...	...	पढ़ाकुओं दा कोठा
(५) प्रिन्सिपल	...	...	पढ़ाकुओं दा पढ़ाकू
(६) टाईपिस्ट	...	...	खड़काउ
(७) प्रमाण पत्र	...	...	गीदड़ सिंघी
(८) शार्टहैंड	...	...	घिचू-मिचू
(९) अस्थाई	...	...	डंक टपाऊ
(१०) प्रमुखता	...	...	अगा

एक बार एक समाचार-पत्र में एक टाइपिस्ट की मांग पञ्जाबी में निम्न प्रकार प्रकाशित हुई :—

"लोड़ीदा है एक घिचू-मिचू खड़काऊ ते डंग टपाऊ लेखा डंगो डंगी, जो आवे ते गीदड़ सिंघी नाल लियावे, कुड़ी नू अगा दिता जायगा"

अर्थात् एक स्टेनो टाइपिस्ट की अस्थाई रूप से आवश्यकता है, जो आवे अपना प्रमाण-पत्र साथ लावे, लड़की को प्रमुखता दी जायगी।

गुरुओं ने भी हिन्दी को अपनाया

भाषा और बोली के भेद को समझते हुए ही सिक्खों के गुरुओं में

अधिकांश ने हिन्दी को ही अपनी पवित्र वाणी का माध्यम बनाया। इसका स्पष्ट प्रमाण गुरुओं की वाणी में हिंदी का बाहुल्य है।

गुरुमुखी लिपि

पंजाबी भाषा बोली होते हुए भी जब कभी लिखने-पढ़ने के प्रयोग में लाई गई तो इसकी लिपि हिंदी या उर्दू ही रही। गुरु अङ्गद ने मुसलमानों के साथ विशेष संघर्ष में गुप्त-पत्र व्यवहार के लिए और मुख्यत: गुरुवाणी को विशेषता देने के लिए काश्मीर के पण्डितों के साथ मिलकर एक नई गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया और गुरु अर्जुनदेव जी ने इस लिपि का प्रयोग गुरु-वाणियों को साहित्य का रूप देने में किया। परन्तु फिर भी इस लिपि का प्रचार गुरु वाणी तक ही सीमित रहा। उदाहरणार्थ वारीशाह जैसे पञ्जाबी के लेखकों ने अपना पंजाबी साहित्य गुरुमुखी के स्थान पर अन्य लिपियों में ही तैयार किया। कारण यह है कि यह लिपि पूर्ण नहीं और ना ही इसके उच्चारण व प्रयोग में कोई व्यवस्था व नियम है।

मेरी दृष्टि में यदि सिक्ख भाइयों को पंजाबी भाषा बनाना ही है तो उन्हें हिन्दी-लिपि ही स्वीकार करना चाहिए। इससे पंजाबी भाषा की बहुत कुछ कमी पूरी हो जायगी। परन्तु पंजाबी को गुरुमुखी में लिखने का अर्थ तो यह हुआ कि—"एक तो कड़वी फिर नीम पर चढ़ा दी गई।' गुरुमुखी लिपि में जो पंजाबी-साहित्य तैयार होगा उसे विद्वानों की सम्पत्ति कदापि नहीं बनाया जा सकेगा। हाँ, सिक्ख लोग साम्प्रदायिकता के जोश में आकर उसे अवश्य अपनायेंगे, परन्तु अवस्था उनकी भी वही होगी कि जिस प्रकार एक पठान कलाकन्द के भुलावे में साबुन खरीद लाया और लगा खाने, साबुन खाते हुये जब वह बेचैन हो रहा था तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा—पठान क्या खा रहे हो तो उसने झिल्लाकर कहा—पठान अपना पैसा खा रहा है। इसी प्रकार सिक्ख विद्वान् भी पूछने पर यही कहेंगे के सिक्ख-साहित्य का अध्ययन नहीं कर रहे अपितु सिक्खी का झण्डा खड़ा कर रहे हैं।

पंजाबी भाषा के नारे की उत्पत्ति

जब पंजाबी भाषा नहीं, बोली है और भूतकाल में गुरुओं और विद्वानों ने इसे बोली के ही रूप में स्वीकार किया तो फिर अब इसे भाषा और वह भी

मुख्य भाषा बनाने का नारा क्यों और किसने लगाया। इसका उत्तर यदि एक वाक्य में कोई लेना चाहे तो यही है कि यह नारा कुर्सी ने लगवाया और कुर्सी के भूखे लोगों ने लगाया। वर्तमान भोगवादी युग में कुर्सी अर्थात् पैसा, पद महत्वाकांक्षा ही लोगों का एक मात्र ध्येय है। कुर्सी का आधार है वोट। अधिक से अधिक वोट अपनी ओर किस प्रकार खींचीं जाय इस बात की खोज चतुर राजनीतिज्ञ सदैव करते रहते हैं। चूंकि लोग धर्म के प्रति अन्धविश्वासी होते हैं इसलिए चतुर राजनीतिक धर्म को बड़ी सरलता से अपनी शतरंज का मोहरा बनाते रहते हैं। मास्टर तारासिंह मि० जिन्हा की भाँति उन्हीं चतुर राजनीतिज्ञों में से एक हैं कि जिन्होंने सिक्खों को अपनी महत्वाकाँक्षाओं की पूर्ति का साधन बनाने के निमित्त पंजाबी भाषा व सिक्ख प्रान्त का नारा लगाया है।

पंजाब में सिक्ख और हिन्दू एक ही परिवार के सदस्यों की भांति आपस में प्रेमपूर्वक रहते आये हैं। हिन्दू और सिक्खों में रोटी-बेटी का सम्बन्ध अभी तक चालू है। परन्तु नाश हो इस स्वार्थान्ध राजनीति का, इसने आज भाई को भाई का, पिता को पुत्र का, पुत्र को माता-पिता का और पड़ोसी को पड़ोसी का शत्रु बना दिया है। यही कार्य किया है श्री मास्टर तारासिंह जी की राजनीति ने। मास्टर जी की भरसक चेष्टा यही रही है कि सिक्खों को हिन्दुओं से सर्वथा अलग करदें और इसके लिये उन्होंने नारा लगाया है कि सिक्ख किसी भी दृष्टि से हिंदुओं से संबंधित नहीं है अर्थात् उनकी भाषा, धर्म संस्कृति आदि सब हिंदुओं से विभिन्न हैं। यही चाल व नीति थी मि० जिन्हा की परन्तु जिन्हा की नीति का सबसे अधिक कुपरिणाम यदि किसी वर्ग को सहना पड़ा तो वह हैं सिक्ख लोग, परन्तु इतनी बर्बादी व अपमान के पश्चात् भी वह फिर भी उसी नीति को अपना रहे हैं। यह आश्चर्य ही नहीं अपितु महान् आश्चर्य है। यह तो भविष्य ही बतलायेगा कि इस नीति का पूर्ण परिणाम क्या होगा, परन्तु इतना तो अभी भी होगया है कि हिंदू सिक्ख के बीच खाई खुद गई है और वे एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। इनके रोटी-बेटी के नाते भी समाप्त हो रहे हैं और जहाँ गुरुवाणी सुनने के लिये हजारों हिंदू गुरुद्वारों में नित्य जाते थे और सहस्रों रुपयों का दान देते थे अब उन्हें वहां जाने में संकोच हो रहा है। उन पौराणिक मंदिरों से अब गुरु-ग्रन्थ साहब को

बताया जा रहा है कि जहाँ हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा व धर्म उपदेशक के साथ ग्रन्थ साहब का भी पाठ होता था उन्हें अब डर लगने लगा है कि कहीं अकाली सिक्ख उनके मन्दिरों को गुरुद्वारा घोषित करके उनपर अधिकार न जमालें।

मास्टर तारासिंह जी के उद्‌गार

२१ जनवरी सन् ५५ को पंजाब के मुख्य मन्त्री जी के सन्मुख मास्टर-तारासिंह जी ने अपनी माँग का निम्न शब्दों में स्पष्टीकरण किया:—

"Master Tara singh stated that he did not believe in a mere linguistic Punjabi State What he had in mind was a sikh state wherein the sikhs would be in numerical majority' (United Punjab)

अर्थात् मास्टर तारासिंह जी केवल पंजाबी भाषायी सूबे में विश्वास नहीं रखते अपितु उनके मस्तिष्क में वह सिक्ख स्टेट है जहाँ सिक्ख बहु संख्या में हों। आगे एक प्रश्न के उत्तर में आप कहते हैं कि:—

"What we want is azadi (independence). The sikhs have no azadi. We will fight for our azadi with full force. Even if we have to revolt we will revolt to win our azadi."

अर्थात् मास्टर तारासिंह सिक्खों के लिये पूर्ण आजादी चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिये बगावत करने को भी तैयार हैं।

इसी प्रकार का एक वक्तव्य आपने वैशाखी के अवसर पर अमृतसर के एक दीवान में दिया था जिसका विवरण १६ अप्रैल सन् ५६ के ट्रिब्यून (लाहौर) में निम्न प्रकार प्रकाशित हुआ था: —

'Sikhs will not for a moment tolerate the rule of the Hindus" अर्थात् सिक्ख लोग एक क्षण के लिये भी हिन्दुओं का राज्य सहन नहीं करेंगे।

मास्टर जी ने हिन्दुओं के प्रति अपनी घृणा व सिक्खिस्तान के नारे को क्रियात्मक रूप देने के लिये खुले शब्दों में अकालियों से निम्न नारे लगवाये:—

(१) राज्य करेगा खालसा आकी रहे न कोय।

(२) धोती टोपी जमना पार।

इसके अतिरिक्त भारत के माननीय श्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू को सिक्खों की दृष्टि में गिराने के लिये उन्हें गंगू ब्राह्मण की पदवी दी। जो लोग गंगू ब्राह्मण के इतिहास को जानते हैं वह समझ सकते हैं कि सिक्खों की दृष्टि में किसी को गंगू ब्राह्मण कहने से अधिक बुरी गाली संसार में है ही नहीं। वही गाली अकालियों ने श्री पं० जवाहरलाल नेहरू को दी। गाली ही नहीं दी अपितु गंगू ब्राह्मण समझते हुये गुरुद्वारा फतहगढ़ से बाहर निकाल दिया और उन्हें भाषण नहीं देने दिया। महाराजा पटियाला ने श्री मास्टर जी को यथाशक्ति समझाने का प्रयत्न किया कि श्री नेहरू देश के प्रधान मन्त्री होने के अतिरिक्त हमारे निमन्त्रण पर पधारे हैं, इसलिये अपना महमान होने के नाते हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिये और उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिये। परन्तु मास्टर जी ने किसी की एक बात भी नहीं सुनी और श्री नेहरू जी को भगाकर ही छोड़ा।

मास्टर जी के विषवमन का कुपरिणाम

अप्रल सन् ५५ में अकालियों का एक डेपूटेशन पश्चिमी पाकिस्तान गया तो लाहौर के मुस्लिम मेयर ने इनका स्वागत किया। जब अकालियों का डेपूटेशन स्वागत-स्थल पर पहुँचा तो वहाँ उन्होंने देखा कि पाकिस्तान और भारत के झण्डे बराबर लहरा रहे थे। इस पर अकालियों ने आपत्ति की और उनके प्रस्तावानुसार भारत का तिरंगा झण्डा हटाकर उसके स्थान पर अकालियों का झण्डा लहरा दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि उस अकाली प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री सरदार करतारसिंह थे कि जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पंजाब सरकार में मन्त्री पद से सुशोभित किया हुआ है।

(United Punjab Page 24)

क्या इस घटना को देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति अकालियों की देश-भक्ति व ईमानदारी पर विश्वास कर सकता है।

नयी बोतल में वही पुरानी शराब

मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में अकाली लोग अंग्रेजों के समय से ही स्वतन्त्र सिक्खिस्तान बनाने के षड़यन्त्र रचते आ रहे हैं और जब जिन्हा ने अपनी

पाकिस्तान की मांग ब्रिटिश पार्लियामैन्ट्री मिशन के सम्मुख उसके भारत आने पर रक्खी थी तो अकाली पार्टी ने भी अपना एक मैमोरेण्डम ब्रिटिश सरकार के लिये उपस्थित किया था। उस मैमोरैण्डम का कुछ अंश निम्न प्रकार है :—

"The Skihs have as good a claim for an independant sikh state as Mohmidans."

"The claim for a Muslim Pakistan should not be conceded to the Musalmans without at the same time conceding the claim for an independant Sovereign State to the sikhs."

(Cabinet Mission in India by A. Mukherji & co. Calcutta)

अर्थात् अकाली पार्टी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे पार्लियामैन्ट्री मिशन के सन्मुख पूर्ण स्वतन्त्र सिक्खिस्तान की मांग की और आग्रह किया कि सिक्खिस्तान की स्वीकृति के बिना पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं होनी चाहिये।

भारत के हितों का ध्यान न करते हुये मास्टर तारासिंह जी ने मि० जिन्हा तथा मुस्लिम लीगी मुस्लमानों के साथ भी साठ-गाँठ की परन्तु जिन्हा ने इनकी मांग को अपने पाकिस्तान के हित के विरुद्ध समझकर समझौते को ठुकरा दिया।

सौभाग्यवश उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी इनकी मांग को अनुचित समझकर ठुकरा दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अकालियों ने कुछ सिर उठाने का प्रयत्न किया; परन्तु भारत के लोह पुरुष स्वर्गीय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कड़ाई एवं साहस के साथ उन्हें दबा दिया।

मृत अकाली आन्दोलन को सरकार ने जीवित किया

अकाली आन्दोलन प्रायः मर चुका था और अकाली सिक्खों ने मास्टर तारासिंह जी से नाता तोड़ना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने इस आन्दोलन को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पास करके जब सरकार ने एक सीमा कमी-

शन की नियुक्ति की तो मास्टर तारासिंह ने अपने आन्दोलन को पुनः चालू कर दिया और इस बार अकालियों ने बड़ी ही चतुराई से अपनी उसी पुरानी सिक्खिस्तान की मांग को भाषा का जामा पहनाकर उपस्थित किया। सौभाग्य-वश श्री मास्टर जी ने अपनी इस बात को छिपाया भी नहीं है । पंजाब के मुख्य मन्त्री से अपनी मांग का स्पष्टीकरण करते हुये श्री मास्टर जी ने २१ जनवरी ५५ को चण्डीगढ़ में निम्न विचार प्रकट किये थे :—

"The cover of punjabi speaking state slogan serves my purpose well since it does not offepd against nationalism·········The Government should accent our demand under the slogan of Punjabi speaking state without probe"

अर्थात् पंजाबी भाषा-भाषी प्रान्त के किनारे की आड़ भली प्रकार से मेरे असली उद्देश्य (सिक्खिस्तान) की पूर्ति कर देती है और चूंकि इस नारे से राष्ट्रीयता की ओर भी कोई धक्का नहीं लगता है·········सरकार को पंजाबी भाषी प्रान्त के नारे की आड़ में ही मेरी मांग (सिक्खिस्तान) स्वीकार कर लेना चाहिये।" अपने ही हाथों लगाई भाषायी आग को भारत सरकार में बुझाने की सामर्थ्य नहीं थी, परिणाम यह हुआ कि अकालियों की जिस मांग को ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया था, उसे अपनी ही सरकार ने स्वीकार कर लिया; परन्तु अपनी झेंप मिटाने के लिए और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकार ने देश के इस नये पाकिस्तानी बंटवारे को सच्चर फार्मूला व क्षेत्रीय फार्मूले का नाम दिया।

यदि सरकार ईमानदारी के साथ स्पष्ट रूप से सिक्खिस्तान स्वीकार कर लेती तो भारत के देश भक्तों के हृदयों में चोट तो अवश्य पहुँचती परन्तु ऐसा तो न होता कि सिक्खिस्तान भी बना दिया और पंजाब के लाखों हिन्दुओं के धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर कुठाराघात करके उन्हें विवश होकर सिक्ख बनने या अपने घरोंको छोड़कर अन्यत्र भाग जाने या सिक्खों की दया पर जीवित रहने को छोड़ दिया जाता। आज यही सब कुछ हो रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि शोषित, पददलित, मृत्यु तथा बरबादी की गोद में जाने वालों के रोने

और चिल्लने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और उनके रोने को साम्प्रदायिक व राजनैतिक स्टण्ट कहकर देश की जनता के सन्मुख अपनें अन्याय व साम्प्रदायिक तत्वों के सन्मुख झुकने की दब्बू नीति को छिपाया जा रहा है। सुना है कि आर्यसमाज द्वारा उठाई आवाज के कारण अपनी अन्याय-युक्त दब्बू नीति के खुल जाने के भय से सरकार ने लाखों रुपये प्रचार पर व्यय करके आर्यसमाज की आवाज को दबाने की योजना बनाई है और इस योजना को सफल बनाने के लिए एक अच्छे वेतन भोगी व्यक्ति की नियुक्ति की है। परन्तु 'सत्यमेव जयते' का नारा लगाने वाली और अहिंसा व प्रेम की दुन्दुभी बजाने वाली सरकार सत्य का गला घोटने में सफल हो भी सकेगी, इसमें मुझे सन्देह है।

अनुचित गठबन्धन

सरकार ने अकालियों को प्रसन्न करने के लिए हिन्दुओं के साथ अन्याय करते हुए जो अप्रजातांन्त्रिक, अनैतिक तथा अवैधानिक गठबन्धन किया है उसका पूरा चित्र पंजाब में लागू निम्न फार्मूलों में विदित हो जायगा—

(१) रीजनल फार्मूला।
(२) सच्चर फार्मूला।
(३) पेप्सू फार्मूला।

पंजाब में क्षेत्रीय परिषदों की योजना की रूपरेखा

(सांस्कृतिक भाग का अनुवाद)

८—प्रस्तावित पंजाब राज्य में हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रों का निरुपण राज्य सरकार तथा अन्य सम्बद्ध हितों के परामर्श से होगा।

९—वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला व्यवहार में आता रहेगा और पेप्सू राज्य के वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती अथवा बाद में वह पारस्परिक समझौते से बदल दी नहीं जाती।

१०—प्रत्येक क्षेत्र की जिलास्तर और उससे नीचे की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।

११—राज्य द्विभाषी होगा जो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को और देवनागरी लिपि में हिन्दी को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता देगा।

१२—पंजाब राज्य पंजाबी और हिन्दी भाषाओं की उन्नति के लिए पथक-पृथक् विभागों की स्थापना करेगा।

१३—अल्प संख्यकों के भाषा सम्बन्धी हितों की रक्षार्थ प्रस्तावित सामान्य संरक्षण अन्य राज्यों के समान पंजाब राज्य पर भी लागू होंगे।

१४—केन्द्रीय शासन समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की अपनी नीति के अनुसार पंजाबी भाषा की उन्नति को प्रोत्साहित करेगा।

पूर्वीय पंजाब में भाषा के प्रश्न से सम्बद्ध प्रस्तावों का अन्तिम प्रारूप

(सच्चर फार्मूला)

१—पूर्वीय पंजाब में दो भाषायें पंजाबी और हिन्दी बोली जाती हैं।

पंजाबी भाषा-भाषी क्षेत्र में पंजाबी क्षेत्रीय भाषा होगी और हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र में हिन्दी क्षेत्रीय भाषा होगी। प्रान्तीय शासन विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण करेगा।

पंजाबी का अर्थ गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाबी होगी और हिन्दी का अर्थ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।

२—पंजाबी-भाषा क्षेत्र के समस्त स्कूलों में मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगी और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक तक हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी और कन्या पाठशालाओं में केवल मिडिल की श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थायें भी सामने आयेंगी जबकि विद्यार्थी के माता-पिता वा अभिभावक उसे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें।

इस आधार पर कि हिन्दी उसकी मातृ-भाषा है क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किए बिना प्राइमरी की क्लासों में हिन्दी में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० और प्रत्येक क्लास में १० से कम न होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी की क्लासों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा, परन्तु लड़कों के स्कूलों में चौथी क्लास से और लड़कियों के स्कूलों में छठी क्लास से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी। माध्यमिक क्लासों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहेगा यदि गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों का $\frac{1}{3}$ भाग हिन्दी के माध्यम की प्रार्थना करें। गवर्नमेंट सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में भी हिन्दी के माध्यम का प्रबन्ध करेगी यदि स्कूल के $\frac{1}{3}$ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और यदि क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण की पर्याप्त सुविधायें न होंगी। $\frac{1}{3}$ की शर्त की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यामिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ना सुगम बनाने के लिए हिन्दी भाषा-भाषी विद्यार्थिथों को पहले-पहले वर्षों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने की छूट दे दी जायगी। परन्तु माध्यमिक क्लासों से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

३—हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के समस्त स्कूलों में मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक तक पंजाबी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी, कन्या पाठशालाओं में केवल मिडिल श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थायें भी सामने आयंगी जबकि विद्यार्थी के माता-पिता वा अभिभाविक उसको पंजाबी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें इस आधार पर कि पंजाबी उसकी मातृ-भाषा है क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभाविक की घोषणा पर आपत्ति किए बिना प्राइमरी की क्लासों में पंजाबी में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० और

प्रत्येक क्लास में १० से कम न होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी की क्लासों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम पंजाबी भाषा होगी परन्तु लड़कों के स्कूलों में चौथी क्लास से और लड़कियों के स्कूलों में छठी क्लास से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी। माध्यमिक क्लासों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम पंजाबी रहेगा यदि गवर्नमेन्ट म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल के समस्त विद्यार्थियों का $\frac{1}{3}$ भाग पंजाबी के माध्यम की प्रार्थना करें। गवर्नमेन्ट सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में भी पंजाबी के माध्यम का प्रबन्ध करेगी यदि स्कूल के $\frac{1}{3}$ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और उस क्षेत्र में पंजाबी के शिक्षण की पर्याप्त सुविधा न होगी। $\frac{1}{3}$ की शर्त की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक क्लासों क्षेत्रीय भाषा का पढ़ना सुगम बनाने के लिए पंजाबी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले २ वर्षों में प्रश्नों के उत्तर पंजाबी में लिखने की छूट दे दी जायगी परन्तु माध्यमिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

४—क्षेत्रीय भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षण की मांग से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों के सुधार के लिए गवर्नमेन्ट अन्य आवश्यक निर्देश प्रचारित कर सकती है।

५—सरकार द्वारा स्वीकृत परन्तु सहायता प्राप्त न करने वाले स्कूल में शिक्षा के माध्यम को उसकी प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी। किसी दूसरी भाषा में शिक्षा के माध्यम की व्यवस्था करना उनके लिए अनिवार्य न होगा। परन्तु अवस्थानुसार दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी या हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।

६—वर्तमान में अंग्रेजी और उर्दू शासन और न्यायालय की भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती रहेंगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंङ्ग कमेटी की ५-८-१९४९ की बैठक में पारित प्रस्ताव में निहित सिद्धांतों के प्रकाश में क्रमशः इन भाषाओं का स्थान हिन्दी और पंजाबी लेती रहेगी।

७—ये प्रस्ताव उन विद्यार्थियों पर लागू न होंगे जिनकी मातृभाषा न तो पंजाबी है और न हिन्दी। इस प्रकार के विद्यार्थियों की मातृ-भाषा में शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया जायगा। यदि किसी स्थान पर इस प्रकार का प्रबन्ध सम्भव बनाने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त हो।

ह० भीमसेन सच्चर
" गोपीचन्द भार्गव
" उज्ज्वलसिंह
" करतारसिंह

नई दिल्ली १-१०-१९४९

—०—

(३) पैप्सू फार्मूला—इस फार्मूले के अनुसार पैप्सू के सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भ से ही अनिवार्य रूप से पंजाबी (गुरुमुखी लिपि में) पढ़नी होगी और शिक्षा का माध्यम मैट्रिक तक पंजाबी भाषा ही होगी।

मास्टर जी या अकालियों की दृष्टि में ये फार्मूले

सरकार अपने इन फार्मूलों का बड़ा ही निर्दोष व देश हितकारी कहते नहीं थकती; परन्तु श्री मास्टर जी व अकालियों की दृष्टि में इन फार्मूलों के द्वारा सिक्खों को एक 'होम लैण्ड' मिला है कि जहाँ वह प्रत्येक प्रकार से मन-मानी कर सकते हैं। हिन्दु यदि उनकी इच्छानुसार रहना चाहेंगे तो रहेंगे अन्यथा या तो उन्हें सिक्ख बनना पड़ेगा या उन्हें पंजाबी क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ेगा। ये फार्मूले उनकी दृष्टि में केवल ढोंग मात्र हैं। उनके इस प्रकार के विचार ही नहीं है अपितु उन्होंने अपने इन विचारों को क्रियात्मक रूप भी दे दिया है। इसका यदि कोई स्पष्ट प्रमाण देखना चाहे तो वह स्वयं जालन्धर क्षेत्र के देहाती क्षेत्र का निरीक्षण करे जहाँ हिन्दू दासों से भी अधिक घृणित जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसके कुछ प्रमाण निम्न प्रकार हैं:—

१—क्षेत्रीय फार्मूला बन जाने के पश्चात् जालन्धर डिवीजन के समस्त स्कूलों में हिन्दी का शिक्षण लगभग समाप्त कर दिया गया है; और जहाँ पहिले हिन्दी के शिक्षण का प्रबन्ध था वहाँ भी ९० प्रतिशत बन्द कर दिया है।

२—नौकरियों में सर्वत्र लगभग सिक्खों को ही लिया जा रहा है।

३—व्यापार, पर्मिट, लाइसैन्स या अन्य सरकारी सुविधायें सिक्खों को दी जा रही हैं, और हिन्दुओं को सर्वत्र बहिष्कृत व तिरस्कृत किया जा रहा है।

एक घटना तो यहाँ तक सुनने में आई है कि एक स्कूल में एक हिन्दु मास्टर कृष्ण भक्ति के कुछ गाने स्कूल प्रारम्भ होने के समय बच्चों से गवाता था, इस पर सिक्ख बच्चों ने आपत्ति की तो उसने राष्ट्रीय गान 'जनमन गन' गवाना प्रारम्भ कर दिया। कुछ समय पश्चात् जब एक सिक्ख इन्स्पैक्टर उस स्कूल में निरीक्षणार्थ पहुँचा तो उसने राष्ट्रीय गान को हटवाकर गुरुमुखी गवाने का आदेश दिया। जब मास्टर ने राष्ट्रीयगान बन्द कराने का कारण पूछा तो उसे धमका दिया गया।

फार्मूलों पर वैधानिक आपत्ति

जब किसी विचार का क्रियात्मक रूप सन्मुख आ जाय तो मैं समझता कि फिर उसकी अच्छाई बुराई सिद्ध करने के निमित्त शास्त्रार्थ करना कोरी मूर्खता है। जब जालन्धर क्षेत्र से इन फार्मूलों का क्रियात्मक रूप प्रारम्भ ही सन्मुख आ चुका तो फिर इन फार्मूलों के औचित्य व अनौचित्य पर विचार करना व्यर्थ है; परन्तु अब भी पंजाब से बाहर की जनता के सामने भारत सरकार द्वारा इन फार्मूलों को हितकर सिद्ध किया जा रहा है तो फिर ह भी इनकी वास्तविकता जनता के सन्मुख रखना आवश्यक हो जाता है हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि ये फार्मूले अवैधानिक व अराष्ट्रीय हैं इसके निम्न प्रमाण हैं।

१—पंजाब में लागू वर्तमान भाषायी फार्मूले भारतीय विधान की धार ३५० ए० के विरुद्ध है और इन्हें लोक सभा व पंजाब की विधान सभा समर्थन व स्वीकृति प्राप्त नहीं।

२—भारतीय विधान के अनुसार धर्म, जाति आदि के कारण किसी साथ भेदभाव करना वर्जित है। इस बात को ध्यान में रखते हुये धर्म व जा के आधार पर देश का प्रान्तीय विभाजन सर्वथा अवैधानिक है। पंजाब क्षेत्रीय फार्मूले का आधार देखने में भले ही भाषा है। परन्तु वास्तव में य धर्म पर आधारित अकालियों की मांग पर ही अधारित है। अतः यह फार्मू

किसी भी दृष्टि से वैधानिक नहीं है। विधान की निम्न धारा हमारे पक्ष क समर्थन करती है—

15—(1) The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste sex, place of birth or any of them.

(Constitution of India Page 8)

३—भाषा के आधार पर देश का प्रान्तीय विभाजन अराष्ट्रीय, अकल्याणकारी तथा वर्ग संघर्ष को जन्म देने वाला है। इस मत का समर्थन भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन ने भी बड़े ही जोरदार निम्न शब्दों में किया है—

A single language group would inevitably encourage exclusivism. It may even blur if not obliterate; the feeling of national unity."

"Expereince every where has shown that States based on languaes are intolerant, aggressive and expansionist in character. They persue policise of their own without regard to the interests of the nation as a whole." (S. R. C. Report)

कमीशन ने केवल भाषायी सिद्धान्त पर ही अपना मत प्रकट नहीं किया; परन्तु मुख्य रूप से पंजाब ध्यान करते हुए अपनी सम्मति प्रकट की है—

"No linguistic state should be imposed on substential minorities apposing the proposal."

अर्थात् कोई भी भाषायी प्रान्त अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपा जाना चाहिये जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है।

परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है जालन्धर क्षेत्र के ४५ प्रतिशत हिन्दुओं को बलात् ५५ प्रतिशत सिक्खों के चरणों पर डाल दिया गया है और जबरदस्ती उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत पंजाबी भाषा को उनकी मातृ-भाषा हिन्दी के स्थान पर पढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार का यह कार्य अपने द्वारा नियुक्त कमीशन के निर्णय के विपरीत नहीं।

४—भारतीय विधान प्रजातंत्र पर आधारित है अर्थात् बहुमत के अनुसार शासन चलेगा। परन्तु क्या सरकार बतला सकेगी कि पंजाब प्रान्त की ७० प्रतिशत हिन्दु जनता की इच्छा के विपरीत उन पर यह भाषायी फार्मूला किस विधान के अनुसार लादा गया है? क्या यह स्पष्ट प्रजातन्त्र की हत्या नहीं है?

५—यदि अल्प संख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान करते हुए सिक्खों के लिये भाषा के आधार पर क्षेत्रीय फार्मूला बनाया गया तो फिर भी यही विचार जालन्धर क्षेत्र के अल्प संख्यक हिन्दुओं के सम्बन्ध में क्यों नहीं किया गया? शोक कि पंजाब के ३० प्रतिशत सिक्खों के लिये जिस सुरक्षा का ध्यान सरकार ने किया, उसी सुरक्षा का ध्यान जालन्धर क्षत्र में ४५ प्रतिशत हिन्दू अल्प संख्यकों के लिए इसने नहीं किया।

६—एक ही प्रान्त में वहाँ की जनता पर भिन्न-भिन्न फामूले भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लादना सर्वथा अवैधानिक है। क्या सरकार बतला सकती है कि जो अधिकार उसने जालन्धर क्षेत्र में सच्चर फामूले के अनुसार हिन्दुओं को शिक्षा सम्बन्धी दे रक्खे हैं वही अधिकार पैप्सू के उनसे पैप्सू फामूले के अन्तर्गत क्यों छीन लिये गये हैं?

७—भारतीय विधान के अनुसार एक भारतीय नागरिक को शिक्षा सम्बन्धी निम्न अधिकार दिये गये है—

Cultural and Educational Rights.

धारा २६—(1) Any section of the citizens residing in the terretory of India or any part there of having a distnct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. (Constitution of India Page 16)

धारा 350 A—It shall be the endeavours of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of Education to

children belonging to linguistic minority group.
(Constitution of India Page 188)

विधान की इन धाराओं के अनुसार देश के बच्चे का अधिकार है कि वह अपनी मातृ-भाषा में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करे और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह भारत के प्रत्येक बच्चे के इस अधिकार की सुरक्षा करे, परन्तु पंजाब में सरकार ने सुरक्षा करने के स्थान पर वहाँ के हिंदू बच्चों के शिक्षा संबंधी इन अधिकारों को छीन लिया है। और उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत दूसरी भाषा अपनी मातृ-भाषा के स्थान पर पढ़ने को बाध्य होना पड़ रहा है।

८—जब द्विभाषा राज्य होने पर बम्बई प्रान्त में कोई भाषा वहाँ के बच्चों को अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती है तो फिर पंजाब प्रान्त में किस विधान व नियम के अनुसार भाषा सम्बन्धी अनिवार्यता वहाँ के बच्चों पर लादी गई है। मद्रास, केराला आदि दक्षिण के प्रान्तों में तो राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाता है अपितु ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

९—भारतीय विधान के अनुसार अथवा प्रजातंत्र के सिद्धान्तानुसार जनता की सम्मति जाने बिना उन पर ऊपर से कोई योजना नहीं लादी जानी चाहिये परन्तु आश्चर्य है कि पंजाब के बहुसंख्यक हिन्दुओं की सम्मत्ति लिये बिना उन पर फार्मूला लाद लिया गया। क्या यह तानाशाही का परिचायक नहीं है?

१०—भारतीय विधानानुसार समस्त भारत में सर्वत्र अंग्रेजी का स्थान राष्ट्र-भाषा हिन्दी को दिया जायगा, परन्तु पंजाब के जालन्धर क्षेत्र में क्षेत्रीय फार्मूले की धारा दस के अनुसार जिलास्तर तक सरकारी भाषा पंजाबी रहेगी इस प्रकार यह धारा भारतीय विधान के सर्वथा विपरीत है। जब किसी भी प्रान्त में किसी भी सरकार को हिन्दी का स्थान प्रान्तीय भाषा को देने का अधिकार नहीं है तो पंजाब में ऐसा क्यों किया है?

सांस्कृतिक दृष्टि से आपत्ति

किसी भी देश अथवा जाति की आत्मा उसकी संस्कृति में निहित होती है इसलिये जो देश अपनी सुरक्षा चाहता है उसे चाहिये कि वह प्रत्येक सम्भव उपावों द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा, प्रचार व प्रसार करे। ऐसा करने से ही

देश में सच्ची राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हो सकती है। परन्तु जब देश में भिन्न-भिन्न समुदायों द्वारा अपनी अलग-अलग संस्कृति व सभ्यता का राग अलापा जाता है और सरकार उनके उन अराष्ट्रीय तरानों को मान्यता दे देती है ता इससे अधिक देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पंजाब का भाषायी क्षेत्रीय फार्मूला इसी अराष्ट्रीय विचार की उपज है। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि सिक्खों की संस्कृति व सभ्यता हिन्दुओं से भिन्न हैं। यही भूल हमारे नेताओं ने जिन्हा की दो नेशन थ्योरी को स्वीकार करने में की थी। भारत के प्रत्येक निवासी की चाहे वह किसी भी मत, सम्प्रदाय व जाति का क्यों न हो एक ही भारतीय संस्कृति है जबतक इस विचार को लेकर हम और हमारी सरकार नहीं चलेंगे तबतक देश का कल्याण नहीं होगा।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपत्ति

यदि कोई राष्ट्र चाहता है कि उसके प्रत्येक नागरिक के हृदय में भाई चारे का भाव उदय होकर उसके अन्दर एक राष्ट्रीयता का निर्माण हो तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन न देकर केवल राष्ट्रीय भाषा के ही प्रचार व प्रसार पर अधिक बल दे। अन्यथा राष्ट्रीयता का उदय होना सर्वथा असम्भव है। इस दृष्टि से पैप्सू व सच्चर फार्मूला अराष्ट्रीय एवं देश विघातक है, क्योंकि इनके अनुसार जालन्धर क्षेत्र में राष्ट्र भाषा हिंदी पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

सरकार की ओर से प्रचार किया जा रहा है कि पंजाब में हिन्दी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि सरकार के प्रचार में कोई सचाई है तो वह निम्न प्रश्नों का उत्तर दें—

१—क्या पैप्सू डिवीजन में जहाँ बहुसंख्या की मातृभाषा हिन्दी है वहाँ सरकारी लोकलबाडीज, तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में हिंदी का प्राइमरी में पढ़ाना तथा शिक्षा का माध्यम अपनाना सरकार ने कानून बन्द नहीं कर रक्खा है?

२—क्या पटियाला शहर की भाखड़ा कोलोनी में भारत के प्रत्येक भाग से आये हुए सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए हिंदी स्कूल स्थापित करने की प्रार्थना को सरकार ने अस्वीकार नहीं कर दिया है?

३—क्या हिंदी पढ़ाने वाले स्कूलों को हिंदी के स्थान पर केवल गुरुमुखी

को शिक्षा का माध्यम न बनाने पर सरकारी ग्रान्ट बन्द किये जाने के नोटिस नहीं दिये जा चुके हैं ?

४—बताया जाये कि तथाकथित पंजाबी रीजन में, जहाँ बहुसंख्या की मातृ-भाषा हिन्दी है, वहाँ आठ हजार से अधिक सरकारी तथा लोकलबाडीज के देहाती स्कूलों में से कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में हिन्दी पढ़ाने के लिये हिन्दी अध्यापक नियुक्त हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि सच्चर फार्मूले के लागू होने के पश्चात् ६० प्रतिशत देहाती स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों को हटाकर गुरुमुखी पढ़ाने वाला स्टाफ नियुक्त किया गया है ?

५—क्या इस तथाकथित पंजाबी रीजन में किसी एक स्कूल में भी ३६ या किसी एक श्रेणी में ६ बच्चे पहिली कक्षा में हिन्दी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ? जबकि उन्हीं स्कूलों में इससे बहुत कम संख्या के लिये भी गुरुमुखी पढ़ाने की पूरी सुविधायें हैं ?

६—क्या पंजाब सरकार के सब कर्मचारियों को हिन्दी का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है यदि है तो सरकार घोषणा करे।

७—क्या जिला स्तर तक जहाँ ६० प्रतिशत जनता का सरकार से काम पड़ता है हिन्दी का प्रयोग बलात् बन्दी नहीं कर दिया गया ?

आर्य (हिन्दुओं) के साथ अन्याय क्यों

सिक्खों के साथ सरकार अच्छा व्यवहार करे अर्थात् उन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में उन्नति का पूर्ण अवसर दें; इस पर किसी को और मुख्यत: आर्य समाजियों को तो कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु यदि सिक्खों को यह अवसर हिन्दुओं को अपमानित करके, या उनके अधिकारों का हनन करके या उन्हें बलि का बकरा बनाकर दिया जायगा तो यह सरकार के लिये भी शोभनीय व हितकर नहीं है और हिन्दु भी इस अन्याय को किसी भी अवस्था में सहन नहीं करेंगे, भाषायी क्षेत्रीय फार्मूलों के द्वारा हिन्दुओं के साथ यही व्यवहार सरकार ने किया है जिसके प्रमाण निम्न है—

१—सिक्खों को प्रसन्न करने के लिये सरकार ने ७० प्रतिशत हिन्दुओं को पंजाब में जान-बूझ कर अल्प संख्यक बनाया है। इसका प्रमाण यह है कि जालन्धर क्षेत्र के समीप होते हुए भी कांगड़ा जिले को जालन्धर के साथ न

मिलाकर हरियाना के साथ मिलाया है ।

२—पेप्सू में हिन्दू बहु संख्या में हैं, परन्तु फिर भी वहाँ हिन्दुओं के बच्चों को उनकी मातृभाषा के स्थान पर पंजाबी भाषा (गुरुमुखी लिपि में) बलात् पढ़ाई जा रही है, भारतीय विधान द्वारा प्रदत्त हिन्दुओं के नागरिक अधिकारों के हनन के अतिरिक्त वहाँ हिन्दू बच्चों को बलात् पंजाबी पढ़ाने का यह कुपरिणाम होगा कि वहाँ के हिन्दू बच्चे पढ़ने-लिखने का ज्ञान प्राप्त न कर सकेंगे। और परिणाम स्वरूप हिन्दी में लिखत अपने धर्म ग्रन्थों को न पढ़ सकेंगे। जब धर्म ग्रन्थों का पढ़ना ही समाप्त हो जायगा तो फिर यह स्वाभाविक है कि वह अधार्मिकता व नास्तिकता के दल-दल में फंस जायेंगे। लोग कहते हैं कि पेप्सू में हिन्दी राष्ट्र भाषा होने के नाते द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई तो अवश्य जायगी फिर हिंदू बच्चों को खतरा कहाँ रहता है कि वे अपने धर्म ग्रन्थ न पढ़ सकेंगे। ऐसे भोले भाइयों को मुझे बतलाना है कि धर्म ग्रन्थ ऐसी जटिल हिन्दी में लिखे हैं कि प्रारम्भ से ही मातृभाषा के रूप में पढ़ने वाले बच्चों को भी उन्हें समझाने के लिए कठिनाई होती है। फिर दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ने वाले बच्चे तो अक्षरों को भले ही पढ़ लें उन्हें समझना उनके लिये सर्वथा असम्भव है।

यह बात सप्रमाण सिद्ध है कि अधिकाँश, निर्धन माता-पिता अपने बच्चों की चौथी कक्षा तक ही पढ़ा पाते हैं या पढ़ने में रुचि न रखने वाले बच्चे स्वत: ही चौथी कक्षा के पढ़ने के पश्चात् अपनी पढ़ाई बन्द कर देते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें हिन्दी पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला किस प्रकार अपने धर्म ग्रन्थों को पढ़ सकेंगे।

इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी हानि यह है हिन्दू बच्चे पाँचवीं कक्षा से दूसरी भाषा को पढ़ेंगे और छठी कक्षा में संस्कृत, ड्राइङ्ग आदि विषयों को अतिरिक्त विषय के रूप में उन्हें लेना होगा तो अबतक के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि लड़का पांचवी कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में तो हिन्दी के भार से ही इतना दब जाता है कि वह फिर संस्कृत जैसे जटिल विषय को न लेकर ड्राइङ्ग आदि सरल विषय ही लेना पसन्द करता है। इस प्रकार हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों की मूल भाषा संस्कृत को तो हिन्दू बच्चे पढ़ ही नहीं सकेंगे। यह आघात हिन्दू बच्चों के लिये हिन्दी से भी अधिक घातक है।

अतः हिन्दू इस बलात् धार्मिक आत्मघात को किसी भी अवस्था में सहन न कर सकेंगे।

प्रारम्भ से ही मातृ-भाषा के रूप में पंजाबी को पढ़ने का हिन्दू बच्चों के लिए एक अति ही भयंकर कुपरिणाम यह भी होगा कि पंजाबी में हिन्दी व संस्कृत के शब्दों के अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो जाने के पश्चात् फिर वह न सही रूप में हिन्दी ही पढ़ पायेंगे और न संस्कृत ही।

सच्चर फार्मूला भी पेप्सू फार्मूला का ही दूसरा रूप है। उसमें केवल दिखावे के लिए कुछ अव्यवहारिक बातें लिखी हैं। सच्चर फार्मूले के अनुसार किसी प्राइमरी स्कूल में ४० बच्चे या किसी कक्षा में १० बच्चे हिन्दी पढ़ने के लिये प्रार्थना पत्र दें तो उनके लिए हिन्दी पढ़ने की व्यवस्था की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्युनिस्पिल बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में भी यदि स्कूल के आधे बच्चे हिन्दी पढ़ने की प्रार्थना करें तो यहां भी हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है।

पहिली बात तो यह है कि भारतीय विधानानुसार जब मातृ-भाषा में प्रत्येक भारतीय बच्चे को पढ़ने का अधिकार है तो फिर हिन्दू बच्चों को अपनी मातृ-भाषा हिन्दी पढ़ने के लिए प्रार्थना-पत्र देना और प्रार्थना के बच्चों की अमुक संख्या होने की शर्त ही सर्वथा अवैधानिक है। अवैधानिक होने के अतिरिक्त यह नितान्त अव्यवहारिक है, क्योंकि सिक्ख बाहुल्य क्षेत्रों में हिन्दू बच्चे हिन्दी पढ़ने के लिये प्रार्थना-पत्र देने का साहस ही नहीं कर सकेंगे, यदि साहस किया भी तो सिक्ख जनता उनके साथ मुसलमानों जैसा व्यवहार करेगी अर्थात् हिन्दू और सिक्खों के बीच सन्देह व द्वेष की खाई खुद जायगी, जोकि साम्प्रदायिक विद्वेष व झगड़ों को जन्म देने वाली होगी।

यदि सम्प्रदायिक झगड़ों का ध्यान न भी किया जाय तो इसकी क्या गारन्टी है कि बच्चों की प्रार्थना सुन ही ली जायेगी। पहले तो यदि किसी स्कूल का मास्टर हिन्दी का शत्रु हुआ तो वह प्रार्थना पत्र लेगा ही नहीं और लेगा भी तो उन्हें ऊपर नहीं भेजेगा, और ऊपर भी भेज दिया तो फिर सरकार हिन्दी पढ़ाने का तुरन्त प्रबन्ध कर देगी यह वर्तमान सरकारी ढांचे के लिए तो सर्वथा असम्भव है। प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई हो इस प्रतीक्षा में कोई भी

माता-पिता अपने बच्चे को संकट में नहीं डालेगा और विवश होकर पंजाबी ही पढ़ावेगा।

यदि हिन्दू माता-पिता के प्रार्थना-पत्रों की किसी कारणवश सुनवाई न हो तो-कम-से कम देहाती क्षेत्रों में तो उनमें से अधिकांश अपनी प्रार्थना को स्वीकार कराने के लिए लड़ ही नहीं सकेंगे। देखा जाय तो लगभग सभी माता-पिताओं के पास उनकी अपनी दैनिक समस्याओं को देखते हुए इतना समय नहीं है कि वह इस नये झंझट में अपने को डालें। साथ ही प्रत्येक माता-पिता हिन्दी व पंजाबी के असली भेद, महत्व तथा परिणामों की समझ भी नहीं सकता। इसलिए व्यवहारिक बात यह है कि अधिकाँश माता-पिता प्रार्थना पत्रों के चक्कर में न पड़कर अपने बच्चों को विवश होकर पंजाबी हो पढ़ायेंगे।

पेप्सू और सच्चर फार्मूले के सम्बन्ध में हमारी आपत्तियाँ हवाई नहीं अपितु अनुभव के आधार पर ध्रुव सत्य हैं। यदि किसी को इनकी सत्यता क्रियात्मक रूप में देखना है तो वह स्वयं पेप्सू तथा जालन्धर क्षेत्रों में जाकर देख सकता है।

३—क्षेत्रीय फार्मूले की दसवीं धारा के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र की जिलास्तर और उससे नीचे की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। इस धारा का कुप्रभाव अति ही घातक और केवल हिन्दुओं को ही प्रभावित करने वाला होगा। क्षेत्रीय फार्मूले के अनुसार पंजाब हरियाना और जालन्धर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हरियाना में ६५ प्रतिशत हिन्दू हैं और केवल ५ प्रतिशत सिक्ख हैं। परन्तु जालन्धर क्षेत्र में ५५ प्रतिशत सिक्ख और ४५ प्रतिशत हिन्दू। इस प्रकार इस धारा का कुप्रभाव सिक्खों पर तो पड़ता नहीं यदि पड़ता है तो जालन्धर के ४५ प्रतिशत हिन्दुओं पर पड़ता है।

यह धारा इतनी घातक है कि यदि स्कूलों में हिन्दी भाषा पर से प्रतिबन्ध हटा भी लिया जाय तो इस धारा के रहते प्रत्येक हिन्दू माता-पिता अपने बच्चे को विवश होकर पंजाबी ही पढ़ायेगा। उदाहरणार्थ ब्रिटिश राज्यकाल में उत्तरप्रदेश की राज्य भाषा उर्दू थी और प्रान्त के स्कूलों में किसी भी भाषा के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नही था। किसी प्रकार प्रतिबन्ध न रहते हुए भी

धर्म प्रेमी उत्तरप्रदेश की ९० प्रतिशत हिन्दू जनता ने अपने बच्चों को विवश होकर उर्दू ही पढ़ाया। जो माता-पिता अपने बच्चे को हिन्दी पढ़ाते थे. उन्हें मूर्ख समझा जाता था। बात भी ठीक है कि जब अपने लगभग सभी दैनिक कार्यों में मनुष्य को पटवारी, कानूनगो; तहसीलदार; कलक्टर आदि से वास्ता पड़ता है, तो फिर इनसे काम निकालने के लिए एक नागरिक को इनकी भाषा पढ़नी ही होगी अन्यथा काम बनने में बड़ी भारी कठिनाइयाँ उसे सहन करनी पड़ेंगी। इसलिए जिलास्तर तक भाषा ही स्कूल के बच्चों की भाषा होती है और होनी चाहिये। इसके विपरीत किसी भी नियम का व्यवहार में आना सर्वथा असम्भव है। अतः जालन्धर क्षेत्र की जिलास्तर की भाषा पंजाबी होने के कारण वहाँ के हिन्दू बच्चों को किसी भी प्रकार की हिन्दी सम्बन्धी छूट होते हुए भी पञ्जाबी भाषा ही पढ़नी पड़ेगी। अतः क्षेत्रीय फार्मूले की धारा दस के रहते जालन्धर के हिन्दुओं की मातृ-भाषा हिन्दी संकट में है और हिन्दी के संकट में रहने से उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति खतरे में है।

वर्तमान समय में लगभग शतप्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकर बनाने की दृष्टि से ही पढ़ाते हैं। जब जालन्धर क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी होगी तो फिर उन्हें विवश होकर ही अपने बच्चों को पञ्जाबी ही पढ़ाना पड़ेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हानिप्रद

इस भषायी क्षेत्रीय फार्मूले से हिन्दी ही परेशान व घाटे में रहेंगे सो बात नहीं है अपितु वहाँ के सरकारी कर्मचारी और भी अधिक संकट में रहेंगे। उदाहरणार्थ यदि एक कर्मचारी पेप्सू में नौकरी कर रहा है और उसके बच्चे वहाँ पञ्जाबी पढ़ रहे हैं, और अचानक उसका ट्रान्सफर हरियाना क्षेत्र को हो जाय तो उसके बच्चे सरलता से किसी स्कूल में प्रवेश न पा सकेंगे, और यदि पा भी लिया तो उन्हें समस्त विषय हिन्दी में ही पढ़ने पड़ेंगे। कुछ समय पश्चात् यदि फिर उसका स्थानान्तर पेप्सू को हो गया तो या तो वह अपने बच्चों को हरियाना में ही छोड़कर जायगा अन्यथा उसके बच्चे बड़ी भारी कठिनाई में पड़ जायेंगे।

अनिवार्यता

४—भाषायी फार्मूलों के अनुसार पंजाब के दोनों क्षेत्रों में पंजाबी व हिन्दी को किसी न किसी रूप में पढ़ाना अनिवार्य होगा। यह बात भारतीय विधान के सर्वथा विपरीत है। भारतीय विधान में कहीं भी अनिवार्यता को कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त जब पंजाब को छोड़ भारत के किसी भी प्रान्त में भाषा सम्बन्धी अनिवार्यता नहीं, तो फिर पंजाब प्रान्त में ही क्यों लागू की गई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पंजाब के निवासी पंजाबी तथा हिन्दी भाषा को नहीं पढ़ना चाहते। यदि उन्हें पंजाब में रहना है तो अपने घरेलू व सरकारी काम-काज की सरलता तथा अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान करते हुए उन्हें हिन्दी व पंजाबी दोनों ही भाषा पढ़नी पड़ेंगी और पढ़नी भी चाहिये।

आपत्ति केवल अनिवार्यता पर है। हम इस सिद्धान्त से पूर्णतः सहमत हैं कि एक भारतीय बच्चे को कम से कम निम्न भाषाओं का अवश्य ज्ञान होना चाहिये—

(१) मातृ-भाषा।
(२) प्रान्त की अन्य भाषा।
(३) राष्ट्र-भाषा हिन्दी।
(४) अंग्रेजी।
(५) भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं में से कम से कम एक और मुख्यतः दक्षिण भारत की कोई एक भाषा।
(६) अंग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा।

परन्तु प्रश्न यह है कि इन भाषाओं को बच्चा कब और किस रूप में पढ़े। बच्चे की एक सीमित शक्ति व योग्यता होती है। उसी का ध्यान करके हमें पढ़ाना-लिखाना चाहिये अन्यथा उसका मानसिक विकास रुक जाता है। उदाहरणार्थ हरियाना के बच्चे के लिये हिन्दी, पञ्जाबी व अंग्रेजी तीनों ही नई भाषायें हैं। क्योंकि उनके यहाँ जो भाषा बोली जाती है वह हिन्दी की उपभाषा है; परन्तु शुद्ध हिन्दी नहीं। इस प्रकार हरियाने के नन्हें-नन्हें बच्चों पर तीन भाषाओं का बोझा अनिवार्य रूप से डाल देना शिक्षा-मनोविज्ञान के सर्वथा विपरीत है। हमारा कहना यह है कि मातृ-भाषा के अतिरिक्त अन्य

भाषायें बच्चों को उनकी इच्छानुसार पढ़ाई जायें। भाषा सम्बन्धी अनिवार्यता केवल सरकारी नौकरियों के लिये होनी चाहिये। स्कूलों में अन्य भाषायें अतिरिक्त विषय के रूप में ही पढ़ाई जांय। जिन बच्चों का लक्ष्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो तो वे प्रान्तीय भाषा पढ़ेंगे और जिनका लक्ष्य भिन्न होगा सो वे अन्य भाषा ले लेंगे।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमें मिटाने की हार्दिक अभिलाषा रखने वाले मुस्लिम व अंग्रेज शासक भी भारत के निवासियों पर भाषा सम्बन्धी अनिवार्यता न लाद सके, परन्तु अपनी सरकार ने वह भी करके दिखला दिया। इसी प्रकार की घटनाओं को देखकर कहना पड़ता है कि 'घर को आग लग गई घर के चिराग से।"

आर्यसमाज को मांगे

पंजाब प्रान्त के आर्य (हिन्दू) नर-नारियों की भाषायी फार्मूलों के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अवनति व ह्रास का ध्यान करते हुए आर्यसमाज ने खूब सोच-विचार कर निम्न सात मांगें सरकार के सन्मुख उपस्थित की हैं :—

(१) सम्पूर्ण नये पंजाब प्रान्त में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिये।

(२) शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम का चुनाव पूरी तरह माता-पिता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिये।

(३) किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं में किसी एक भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाय जाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

(४) शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को दिया जाना चाहिये।

(५) जिले के स्तर या उससे नीचे की सरकार की सब सूचनायें और निर्देश दोनों भाषाओं में होने चाहियें।

(६) किसी भाषा में प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा होनी चाहिए उसके उत्तर भी उसी भाषा में होने चाहियें।

(७) जिले स्तर तथा उसके नीचे के सरकारी कागजात दोनों लिपियों में होने चाहियें।

सारांश—आर्यसमाज की मांगों का सारांश यह है पंजाब द्विभाषी राज्य है इसलिए वहां हिन्दू और सिक्खों की मातृ-भाषाओं हिन्दी तथा पंजाबी को प्रान्त के प्रत्येक सरकारी व शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में बराबर का दर्जा मिलना चाहिये। बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता है और किसी भी भाषा पर प्रतिबन्ध व अनिवार्यता न हो।

आर्यसमाज की मांग पंजाबी भाषा व सिक्खों के विरुद्ध नहीं

आर्यसमाज की सम्पूर्ण मांगों से स्पष्ट हो जाता है कि आर्यसमाज किसी स्थिति में पंजाबी व इसके समर्थक सिक्खों के विरुद्ध नहीं, परन्तु शोक कि अकालियों, काँग्रेसियों तथा सरकारी क्षेत्रों की ओर से यह आक्षेप आर्यसमाज पर लगाया जा रहा है। परन्तु आजतक किसी ने यह बतलाने का साहस नहीं किया कि किस प्रकार पंजाब का हिन्दी आन्दोलन पंजाबी व सिक्खों के विरुद्ध है। उनकी युक्तियों का सबसे बड़ा आधार यह है कि इन मांगों के अनुसार हिंदुओं को पंजाबी न पढ़ने के लिए आर्यसमाज द्वारा भड़काया जा रहा है। परन्तु उनकी यह युक्ति सर्वथा निराधार है। आर्यसमाज की मांग यह कभी नहीं रही कि हिंदुओं को पंजाबी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। वह ऐसा कह भी कैसे सकता है कि जब पंजाब द्विभाषी प्रान्त है तो पंजाब के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह पंजाब की हिन्दी व पंजाबी दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे।

आर्यसमाज या पंजाब के हिन्दू यह चाहते हैं कि पंजाब के हिन्दू और सिक्ख दोनों ही अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिला सकें और द्वितीय भाषा के रूप में स्वेच्छा से पंजाबी व हिन्दी को पढ़ें। इसमें पंजबी का विरोध किस प्रकार है समझ में नहीं आया। हां, यदि अकालियों व कांग्रेसियों का यह विचार हो कि आर्यसमाज व हिन्दुओं का पंजाबी भाषा के प्रति प्रेम तभी सिद्ध होगा कि जब वह अपनी मातृ भाषा को तिलांजलि देकर पंजाबी भाषा को ही अपने बच्चों की शिक्षा माध्यम बनायें तो फिर कल को यह भी माँग हो सकती है कि सिक्खों के प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए पंजाब के समस्त हिन्दू अपने धर्म को तिलांजलि देकर कड़ा केश धारण कर गुरु ग्रन्थ साहब का ही पाठ पढ़ें।

प्रेम-प्रदर्शन का यह ढंग बड़ा हीं निराला है। इसे प्रेम-प्रदर्शन कहें या आत्म-हत्या। मेरी समझ में यह नहीं आया कि प्रेम की यह परिभाषा या प्रेम करने का यह ढंग कांग्रेस व अकालियों ने संसार के कौनसे शब्द कोष से निकाला है। साधारणतयां तो संसार में प्रेम का यही नियम है कि प्रेमी जन दोनों एक दूसरे को प्रेम करें और दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। परन्तु इसे प्रेम कहें या बलात्कार कि एक व्यक्ति तो प्रेम के लिये कुछ भी त्याग करने को उद्यत नहीं और दूसरे से सम्पूर्ण त्याग करने की आशा ही नहीं की जाय अपितु उससे बलात् प्यार कराया जाय।

प्रेम-प्रदर्शन् के रूप में आत्म-हत्या की कहानी आर्यों (हिन्दुओं) के लिए नयी नहीं है। कांग्रेस के आदेशानुसार इन्होंने इसका खूब परीक्षण किया है; और इसके कुपरिणाम स्वरूप इन्होंने अपनी मात्र-भूमि के टुकड़े कराये, अपने घरबार को छोड़ा। अपनी माता-बहिनों के नंगे जलूस निकलते देखे और उसका मुस्लिम गुण्डों द्वारा भेट-बकरियों की भांति नीलाम होते देखा। क्या कांग्रेस पुनः उसी प्रेम लीला को हमसे कराना चाहती है। हम बड़ी विनम्रता के साथ अपने कांग्रेसी भाइयों तथा कांग्रेसी सरकार से कहना चाहते हैं कि वह अपनी कुर्सियों को सुरक्षित रखने के लिए हमसे वोट ले सकते हैं; परन्तु अपनी कुर्सियों की सुरक्षा के लिए यदि वह हमारे अस्तित्व को ही मिटाना चाहेंगे तो यह बात अब सर्वथा असम्भव है। यदि उन्होंने अपने स्थान व पद का अनुचित लाभ उठाकर हिन्दुओं पर अनुचित दबाव डाला तो फिर हिन्दुओं को भी विचार करना पड़ेगा कि वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या करें।

वास्तव में देखा जाय तो हिन्दी रक्षा आन्दोलन वर्तमान सरकार, सिक्ख व समूचे राष्ट्र के ही हित में है। सिक्खों का हित भाषायी व फार्मूलों में नहीं है और इसका परिणाम हिन्दू, सिक्ख के बीच शत्रुता की स्थाई खाई बन जाना है जिसमें सदियों के लिए हिन्दू तथा सिक्खों का सुख, शान्ति समृद्धि व उन्नति विलीन हो जायेगी, उदाहरणार्थ कांग्रेस ने इसे खुश करने की नीति को अपनाकर हिन्दू और मुसलमानों में मित्रता कराने के निमित्त जिन्हा व मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को स्वीकार किया था; परन्तु परिणाम सर्वथा उनकी आशा व उद्देश्य के विपरीत हुआ। ठीक उसी प्रकार यह काँग्रेस-अकाली समझौता सिद्ध होगा। अतः आर्यसमाज का यह आन्दोलन इस दुर्भाग्यपूर्ण भाषायी

समझौते को समाप्त कर हिन्दू सिक्खों में सच्चे भ्रातृत्व व प्रेम की स्थापना करना चाहता है और इसी में सिक्खों का भला भी है।

सत्याग्रह क्यों ?

बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो आर्यसमाज की माँगों से पूर्णतः सहमत होते हुए भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि अपनी ही सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाय। अपनी बात की पुष्टि में वे निम्न युक्तियाँ देते हैं। उनकी युक्यिों के साथ हम अपना पक्ष भी उपस्थित करते हैं ताकि जनता निर्णय कर सके कि किसका पक्ष सबल है।

१—सत्याग्रह विदेशी सरकार के विरुद्ध उचित समझा जा सकता है; परन्तु अपनी सरकार के विरुद्ध नहीं। अपनी सरकार से तो वैधानिक उपायों द्वारा ही लड़ना उचित है।

हमारी दृष्टि में अहिंसात्मक सत्याग्रह का औचित्य, उपयोगिता एवं सफलता होती ही अपने प्रियजनों तथा अपनी सरकार के साथ लड़ने में या उनसे अपनी मांग मनवाने में है। इस सत्याग्रह का वास्तविक आघात प्रियजनों के प्रेम बन्धन पर होता है कि जिससे प्रेमी बेचैन होकर अपने प्रियजन के कष्ट के निवारणार्थ नतमस्तक हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि एक बच्चा अपनी मा से रुष्ट होकर भोजन करना छोड़ देता है तो मां अपने बच्चे के एक समय भी निराहार रहने पर विह्वल हो जाती है और अपने बच्चे को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है। यदि बच्चा अपनी मां के स्थान पर अपनी सौतेली मां, दायी या पड़ौसिन के साथ रुष्ट होकर भोजन का त्याग करदे तो फिर उसे सफलता प्राप्त करने में निराशा नहीं तो कठिनाई का अवश्य सामना करना पड़ेगा।

चूंकि आर्य समाज वर्तमान पंजाब व केन्द्रीय सरकारों को अपना समझता है और उससे हार्दिक प्रेम रखता है और इसे पूर्ण विश्वास है कि इसके रुष्ट होने या रोने का अवश्य अपनी सरकार पर सुप्रभाव होगा, इसलिए आर्य समाज ने सत्याग्रह करने का निर्णय किया है अन्यथा कम्युनिष्टों की भांति यह भी तोड़-फोड की नीति अपना सकता था।

यह बात मामनीय है कि सत्याग्रह अन्तिम शस्त्र होना चाहिए अपने जन या सरकार से संघर्ष करने का प्रथम शस्त्र तो वैधानिक उपाय भी होने चाहिए। मो यह बात दिन के प्रकाश की भाँति सर्व विदित है कि समस्त वैधानिक उपायों का अवलम्बन करने के पश्चात् ही आर्यसमाज ने सत्याग्रह करने का निश्चय

किया है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को वैधानिक बातें सुनने की आदत नहीं है । वह उन्हीं बातों को सुनने और स्वीकार करने की आदी है कि जिनके पास हिंसात्मक व अराष्ट्रीय तोड़-फोड़ आग लगाने व रेलों के ड्रेलमेंन्ट के कुकृत्य लगे हों । इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि जब पंजाब की हिन्दू जनता वैधानिक उपायों का अवलम्बन करके पंजाब के लिये बनाये जा रहे भाषायी व क्षे ीय फार्मूले का विरोध कर रही थी तो दूसरी ओर अकाली लोग अपनी माँगें मंगवाने के लिये नंगी तलवारें लेकर सरकार के विरुद्ध बगावत के नारे लगा रहे थे तो हिन्दुओं की वैधानिक मागों की उपेक्षा कर सरकार ने अकालियों की नंगी तलवारों के सम्मुख सिर झुका दिया । यही इसने आन्ध्र, बम्बई तथा कलकत्ते में नीति अपनाई ।

हमारे वैधानिक उपाय

१—जब भाषायी फार्मूला बनाया जा रहा था तो हरियाने के लोगों ने गुरु ुखी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने के विरुद्ध लगभग साठ हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराके सरकार के पास भेजे और कई विशाल सम्मेजनों का आयोजन करके जनता से भाषायी फार्मूले के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराये ।

२—पंजाब के लगभग सभी आर्यसमाजों ने अपने यहाँ सम्मेलनों का आयोजन कर भाषायी फार्मूले के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराये ।

३—सीमा कमीशन के सम्मुख एक स्मृतिपत्र पंजाब के हिन्दुओं ने उपस्थित किया जिसमें पंजाब की हिन्दू-सिक्ख जनता के कल्याणार्थ महा पंजाब का प्रस्ताव था ।

४—सीमा कमीशन ने भी भाषा के आधार पर प्रान्त के विभाजन व प्रान्त के निर्माण को देश के अहितकर बतलाया ।

५—भाषायी फार्मूला पर लोक सभा से चर्चा होते समय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य श्री ठाकुरदास जी भार्गव तथा हिन्दू महा सभा के अध्यक्ष एन० सी० चटर्जी ने भाषायी फार्मूले का बड़े ही कड़े शब्दों में विरोध किया ।

६—अप्रैल सन् ५६ में सुप्रीम कोर्ट के भूत पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मेहरचन्द जी महाराज की अध्यक्षता में अमृतसर में आर्यसमाज के प्रमुख लोगों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें भाषायी फार्मूले के विरुद्ध कड़ी आवाज उठायी और सरकार को चेतावनी दी ।

७—१७ जून ५६ को जालन्धर में पञ्जाब प्रान्त के सभी आर्यसमाजों के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई जिसमें प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि सत्याग्रह न कर सरकार के दर्वाजे खटखटाना ही उचित है। इसी सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सरकार से भाषायी प्रस्ताव के विरुद्ध अनुरोध किया गया।

८—९ सितम्बर ५६ को अम्बाला नगर में एक सर्वदलीय हिन्दी सम्मेलन हुआ जिसमें आर्यसमाज के अतिरिक्त सनातन धर्म के प्रमुख व्यक्तियों ने भी भाग लिया। इसमें लगभग सभी प्रतिनिधियों ने तुरन्त सत्याग्रह करने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर पर बल दिया और हिन्दी रक्षा समिति के संचालकों पर अकर्मण्यता का दोषारोपण किया; परन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल के सुझाव (जो उन्होंने कुछ दिन पूर्व पत्र द्वारा श्री वीरेन्द्र एम० ए० को दिया था कि कोई पग उठाने से पूर्व भारत सरकार से एक बार भेंट कर ली जाय और श्रीमन् नारायण स्वयं इस मतभेद को मिटाने में सहायता करेंगे) पर जनता को विवश किया गया कि वह शान्त रहे। परन्तु शोक कि श्रीमन्नारायण जी का पत्र पञ्जाब की आर्य (हिन्दू) जनता को झांसे में डालने के लिये एक चाल मात्र सिद्ध हुआ।

९—गत एक वर्ष के भीतर पञ्जाब हिन्दी रक्षा समिति के प्रतिनिधि पञ्जाब के राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री, भारत सरकार के गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ जी पन्त, कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेवर भाई, भारत के शिक्षामंत्री श्री अब्दुल कलाम आजाद, ज्ञानी गुरुमुखसिंह माननीय श्री पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू आदि देश के प्रमुख कर्णधारों से मिले; परन्तु आश्चर्य एवं खेद की बात यह है कि लगभग सभी ने हिन्दी रक्षा समिति की मांगों को न्यायोचित बतलाते हुए भी उन्हें स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। कई महानुभावों ने तो हमें अकाली नेता मास्टर तारासिंहजी के दर्वाजे को खटखटाने का आदेश दिया। ऐसे सलाहकारों में भारत के गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ जी पन्त भी सम्मिलित हैं।

इस प्रकार समस्त वैधानिक उपायों के व्यर्थ सिद्ध हो जाने पर और पञ्जाब को आर्य (हिन्दू) जनता का रोष सीमा पार कर जाने पर ही आर्यसमाज को विवश होकर यह खून का घूंट पीना पड़ा; परन्तु फिर भी सत्याग्रह से बचने

के लिये हिन्दी ग्रान्दोलन के सर्वाधिकारी पूज्यपाद श्री स्वा० ग्रात्मानन्द जी महाराज ने सर्वप्रथम ग्रार्य जगत् के प्रसिद्ध पांच वीतराग संन्यासियों का एक जत्था सद्भावना के रूप में चण्डीगढ़ पञ्जाब के मुख्य मंत्री श्री प्रतापसिंह कैरों के दरबार में ले जाना उचित समझा। परन्तु कैरों के दरबार में इस धर्मप्रेमी जत्थे की वही दयनीय स्थिति हुई कि जो पांच हजार वर्ष पूर्व पांच पाण्डवों की कौरवों के दरबार में हुई थी।

ग्रपमानित व तिरस्कृत होने के पश्चात् भी पूज्यपाद श्री स्वा० ग्रात्मानन्द जी तीन बार ग्रपने सद्भावना मिशन को चण्डीगढ़ ले गये परन्तु तीनों बार वही तिरस्कार व उपेक्षा। यहाँ तक कि पञ्जाब के मुख्य मंत्री श्री प्रतापसिंह कैरों इनके सद्भावना मिशन की उपेक्षा करके कुल्लू घाटी के दौरे पर चले गये। ग्रन्त में विवश होकर शान्ति व त्याग की साक्षात् प्रतिमा श्री स्वा० ग्रात्मानन्द जी महाराज ने पञ्जाब के ग्रार्य (हिन्दू) जनों को ग्रपने धार्मिक व सांस्कृतिक ढांचे की मूलाधार ग्रार्य भाषा हिन्दी की रक्षार्थ बलिदान देने का ग्रादेश दिया। परिणाम स्वरूप पञ्जाब के भिन्न-भिन्न नगरों से सत्याग्रहियों के जत्थे चण्डीगढ़ पहुंचने लगे।

ग्रमानुषिक ग्रत्याचार व गुण्डागर्दी

देश के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा ग्रहिंसात्मक रूप में विरोध प्रदर्शन करने या कानून भंग करने पर सरकार का ग्रधिकार है कि वह उन्हें गिरफ्तार करे ग्रौर उन पर मुकदमे चलाकर उन्हें दण्ड दिलाये परन्तु उन्हें ग्रपमानित करने उन्हें पीटने तथा उन्हें बिना ग्रपराध सिद्ध किये बीहड़ जंगलों में भूखे-प्यासे छोड़ ग्राने का किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार का कोई ग्रधिकार नहीं है ग्रौर नाहीं उसे यह शोभा देता है।

पंजाब सरकार की पुलिस वर्तमान समय में वही हथकण्डे प्रयोग में ला रही है जो विदेशी ब्रिटिश सरकार के समय यहां की पुलिस प्रयोग में लाती थी। पंजाब पुलिस के कुकृत्यों के कुछ नमूने निम्न हैं—

१—पुलिस ने सत्याग्रहियों को ग्रौर यहाँ तक कि ग्रार्य जगत् के विद्वान् व गुरुकुल घरोण्डा के ग्राचार्य श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी को कुत्तों की भांति धूप में तपती हुई सड़कों पर घसीटा ग्रौर उन्हें चोर ग्रौर डाकुग्रों को ले जाने वाली बन्द गाड़ी में ले जाया गया।

२—घायल व बेहोश सत्याग्रहियों को पानी व दवाई का प्रबन्ध भी नहीं किया गया।

३—महिला सत्याग्रहियों को भी अपमानित किया गया।

४—ओ३म् का ध्वज फाड़ा गया और सन्ध्या करते हुए सत्याग्रहियों को मोटर से बलात् उठाकर फेंक दिया गया।

५—पुलिस ने सत्याग्रहियों को पीटने के लिये शहरी सफेद पोश गुण्डों की सहायता ली।

कैरों सरकार दमन व गुण्डागर्दी के द्वारा सत्य का गला घोट सकेगी यह इतिहास की परम्परा के सर्वथा विपरीत है। इतिहास की परम्परा के अनुसार तो दमन, अत्याचार, अन्याय, अत्याचारियों के राज्य के कफन की कीलें ही सिद्ध हुए हैं। देखें पंजाब में चल रहे दमन का क्या परिणाम होता है। परन्तु यह बात तो ध्रुव सत्य है कि पंजाब सरकार 'सत्य' को दबा न सकेगी चाहे वह किसी भी उपाय का अवलम्बन करें।

हिन्दी आन्दोलन और राजनीति

हिंदी आन्दोलन के विरोधी बहुत से भाई मुख्यत: कांग्रेस जन यहाँ तक कि देश के प्रधानमन्त्री मा० श्री पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू आन्दोलन के पीछे राजनैतिक महत्वाकांक्षा व षड़यन्त्र देख रहे हैं। उनकी यह धारणा सर्वथा निराधार है और सत्य का गला घोटने या अपनी पक्षपातपूर्ण निर्बल नीति को छिपाने के लिये उनका यह आक्षेप एक षड़यन्त्र मात्र है। जो लोग आर्यसमाज के लक्ष्य, इतिहास तथा कार्यक्रम से परिचित हैं उनके लिये तो यह आक्षेप उपहास, अज्ञानता तथा अदूरदर्शिता का ही परिचायक है। आर्यसमाज के नेतृत्व में चल रहे पंजाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन का राजनीति से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है इसके कुछ प्रमाण निम्न प्रकार हैं—

१—आर्यसमाज का हिन्दी के प्रति प्रेम नया नहीं अपितु बहुत पुराना है। इसके संस्थापक महर्षि दयानन्दजी महाराज गुजराती थे और संस्कृत भाषा बोलने के ही अभ्यासी थे। उन्हें हिन्दी पढ़ना-लिखना व बोलना नहीं आता था, परन्तु १८७३ में ही उन्हें यह अनुभव हो गया था कि यदि भारत के समस्त निवासियों को जातीयता व प्रान्तीयता की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठाकर एक भ्रातृत्व के बन्धन में बांधकर यहाँ एक सच्ची राष्ट्रीयता को

देना है तो हमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद प्रदान करना ही होगा। इसी तथ्य को सन्मुख रखकर ही उन्होंने हिंदी लिखना-पढ़ना सीखा और अपने समस्त ग्रन्थों को हिन्दी में ही लिखा। आर्यसमाज की समस्त कार्यवाही को हिंदी में ही लिखने का निर्देश दिया। इसी निर्देशानुसार आर्यसमाज अपने जन्म काल से ही आर्यभाषा हिन्दी का प्रेमी, प्रचारक व प्रसारक रहा है।

२—पञ्जाब में आर्यसमाज ने पंजाबी भाषा का विरोध करने या सिक्खों का विरोध करने के उद्देश्य से हिंदी भाषा का आंदोलन चलाया सो बात नहीं अपितु आरम्भ से ही पंजाब में आर्यसमाज हिंदी का प्रचार करता आ रहा है और अंग्रेजी काल में जबकि पंजाब में उर्दू और अंग्रेजी का बोलबाला था तो आर्यसमाज ने हिंदी भाषा के प्रचारार्थ हजारों स्कूल, कालेज, पाठशालायें तथा गुरुकुलों की स्थापना की। परिणामस्वरूप इसने पंजाब में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि पंजाब के प्रत्येक घर में हिंदी का पदार्पण हो गया। मुख्यत: महिलाओं ने तो शत प्रतिशत हिंदी को अपनाया पंजाब का पुरुष वर्ग भले ही अपने सरकारी कार्यालयों में उर्दू व अंग्रेजी का प्रयोग करता रहा हो, परन्तु उसे अपनी पत्नियों, बहिनों, माताओं व कन्याओं के साथ हिंदी भाषा में ही पत्र-व्यवहार करना पड़ता था।

३—आर्यसमाज सांस्कृतिक आंदोलन है। देश के स्वतन्त्रता संग्राम में गोली खाने वालों व फाँसी के तख्तों को चूमने वालों तथा सत्याग्रहियों के रूप में जेल-यात्रा करने वालों में सदैव अग्रसर रहा। इसका संगठन भी भारत की सभी संस्थाओं से अधिक व्यवस्थित, अनुशासित तथा शक्तिशाली है। यदि आर्यसमाज का ध्येय राजनीति में भाग लेना होता तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् यह भी राजनीति के अखाड़े में कूद सकता था और निश्चित रूप से राज्य-शासन में अपना प्रमुख स्थान बना सकता था। परन्तु इसके जान-बूझ कर ऐसा नहीं किया। आर्यसमाज का त्याग, सेवाएं व देश-भक्ति इतनी यथेष्ट हैं कि इसे किसी आंदोलन के पीछे छिप कर राजनैतिक क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं है। इसे जब राजनैतिक क्षेत्र में आना होगा तो प्रत्यक्ष रूप में घोषणा के साथ आयेगा और तब किसी संगठन में वह सामर्थ्य नहीं होगी कि वह इसकी राजनैतिक सफलताओं व महत्वकांक्षाओं को रोक सके। इसके स्पष्ट प्रमाण यह है कि भारतीय हिन्दू जनता का आर्यसमाज के नेतृत्व में इतना विश्वास है कि आज हिंदी आंदोलन के नाम पर हिंदुओं का बच्चा-बच्चा

आर्यसमाज के आदेश पर मरमिटने को उद्यत है और ऐसा ही इसने हैदराबाद के संघर्ष के समय सिद्ध किया था।

४—यदि इस आंदोलन के पीछे आर्यसमाज की कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा होती तो उसे इस आँदोलन को प्रारम्भ करने का सर्वोत्तम समय वह था कि जब भारत में चुनाव हो रहे थे। यदि आर्यसमाज ऐसा कर देता तो पंजाब में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के स्थान पर हिंदी प्रेमी सरकार होती।

५—हिंदी आंदोलन को राजनैतिक सिद्ध करने के लिए लोग कहते हैं कि इसे भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा व रामराज्य परिषद् का समर्थन प्राप्त है। परन्तु उन्हें स्पष्ट होना चाहिये कि आर्यसमाज के सदस्य लगभग देश की प्रत्येक राजनैतिक संस्था में अच्छे पदों पर हैं। अतः यदि आर्यसमाज के आंदोलन में वे भाग लेते हैं तो वे जनसंघी, हिंदू महासभाई तथा कांग्रेसी के रूप में नहीं अपितु शुद्ध आर्यसमाजी के रूप में ही भाग लेते हैं। दूसरे हिंदी भाषा का सम्बन्ध प्रत्येक हिंदू से है। इसलिये प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह चाहे किसी भी राजनैतिक संस्था का सदस्य हो, इस आंदोलन में भाग ले। यदि वह ऐसा करता है तो इस आंदोलन की पवित्रता किसी प्रकार भी नष्ट नहीं होती है।

६—यह आंदोलन शुद्ध सांस्कृतिक है इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि इस आंदोलन ने क्षेत्रीय योजना के विरुद्ध आवाज न उठाकर केवल हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सुलझाने का निश्चय किया है।

७—यदि हिंदी आंदोलन इस आधार पर राजनैतिक है कि हिंदी का सम्बन्ध राज्य शासन से है तो हमारा कहना यह है कि धर्मनिर्पेक्ष सरकार यदि यह चाहती है कि देश के धार्मिक संगठन राजनैतिक विषयों से अलग रहें तो उसे धर्म सम्बन्धी विषयों को अपनी राजनैतिक अखाड़े का मोहरा न बनाना चाहिये। यदि वह बनायेगी तो अपने धार्मिक परम्पराओं तथा मर्यादाओं की रक्षार्थ धार्मिक संस्थाओं को भी संघर्ष करना अनिवार्य हो जाता है। चाहे फिर उस संघर्ष का कुछ भी रूप क्यों न हो। यदि सरकार अपनी धर्म-निर्पेक्ष नीति का पालन न कर आर्य (हिंदुओं) के धार्मिक व सांस्कृतिक ढांचे पर अनुचित आघात पहुँचाने का प्रयास करेगी तो फिर यह भी सम्भव है कि देश

के धार्मिक संघठन कुछ समय के लिए शुद्ध राजनैतिक रूप धारण कर जाय। उस समय उस परिवर्तन का उत्तरदायित्व उन पर नहीं अपितु सरकार की वर्तमान पक्षपात व अन्यायपूर्ण नीति पर ही होगा।

क्या सच्चर फार्मूलें मे परिवर्तन सम्भव नहीं

बहुत से लोग कहते हैं कि अब सच्चर फार्मूले में परिवर्तन सम्भव नहीं है क्योंकि यह भारतीय विधान का अंग बन चुका है, परन्तु उनकी यह धारणा सर्वथा निराधार है। सच्चर व क्षेत्रीय फार्मूला को न लोक सभा की स्वीकृति प्राप्त है और न पंजाब विधान सभा और ना ही इसे भारत के राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान की है।

अतः इन फार्मूलों में बड़ी सरलता से परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अज्ञानता वश व भूल वश सरकार ने किसी बात को स्वीकार कर उसे कानून का रूप दे दिया है तो फिर उसे समाप्त करने का अधिकार कर्तव्य भी उसी का है। प्रमाण स्वरूप भारतीय विधान के बनने के पश्चात् सरकार ने स्वयं उसकी बहुत सी त्रुटियों व कमियों को दूर किया है।



आर्यों (हिन्दुओ) जागो !

आर्यो (हिन्दुओ) ! आपने अपने धर्म, संस्कृति व सभ्यता की रक्षार्थ सदियों तक विदेशियों से टक्कर ली और लाख प्रलोभन सन्मुख रहने पर भी आपने जंगलों की खाक, छानना, घास की रोटियाँ खाना और हँसते-हँसते अपने को और नन्हें-नन्हें बच्चों को गोद में लिये अपनी बहिनों को जौहर की धधकती ज्वाला में आहुति स्वरूप अर्पित करने को ही उत्तम समझा। अब आपके सदियों पुराने इस लम्बे संघर्ष का अन्तिम चरण है। राज्य-सत्ता में अपने ही लोगों को पदारूढ़ देखकर आज हमारे ही अनेक साथियों में मोह का ज्वारभाटा उसी प्रकार उमड़ रहा है कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे सम्बन्धियों को देखकर अर्जुन के हृदय में मोह के कारण युद्ध से विरक्ति जाग्रत हो गई थी। अर्जुन के भाव गीता में निम्न प्रकार व्यक्त किये गये हैं :—

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते ।।
न काँक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।।

अर्थात् अपने ही लोगों को युद्ध में अपने समुख देखकर अर्जुन ने कहा कि उसका शरीर काँप रहा है और मुख सूख रहा है और शरीर में रोमांच हो रहा इसलिये अर्गुन ने कृष्ण महाराज से कहा कि उसे युद्ध करके कोई राज्य विजय, सुख नहीं चाहिए ।

इस प्रकार भगवान् कृष्ण ने निम्न शब्दों में उपदेश दिया—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्य जुष्टमस्वर्गयम अकीर्तिकरम् अर्जुन ।।
क्लैव्यंमास्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्त्वोतिष्ठ परं तप ।।

अर्थात् हे अर्जुन ऐसे विषम अवसर पर तेरे अन्दर यह अज्ञान कहाँ से आ गया, तेरी यह प्रवृति अनार्यों जैसी नरक में ले जाने वाली और अप्रतिष्ठा देने वाली है । इसलिये इस नपुंसकता और हृदय की निर्बलता को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन कर ।

अतः आर्य जाति के लिये आज भगवान् कृष्ण का उपदेश ज्यों का त्यों नया है । उसे इसी के प्रकाश में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए; और अपने कर्तव्य के पालन अथवा अपने धर्म के पालन में उन्हें अपने पराए का ध्यान नहीं करना चाहिए । अन्यथा उनकी अकर्मन्यता पर भगवान् कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवा, बन्दा वीर वैरागी की पुण्य आत्मायें स्वर्ग से आँसू बहायेंगी और अपने को आर्य (हिन्दू) कहने वालों को धिक्कारेगी ।

आशा है आर्य नवयुवक संघर्ष के इस अन्तिम चरण में भी सफलता प्राप्त करेंगे अपने पूर्वजों की की थाती की रक्षा करेंगे ।

